भाग 1 42(7)/13

| प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला |

उप निबंधक कार्यालय क्रम सं० 12599

चन्दौली

लेख या प्राथना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 16-Jul-2013

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पासपोर्ट

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0.00 / 2,630,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 20
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणी करण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविधि
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10,020.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 16-Jul-2013

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 16-Jul-2013

उपनिबंधक सदर चन्दौली

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

8267/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

9 JUL 2013

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202545

चन्दौली अधिवक्ता कल्याण न्यास ₹200/- R/2013/7022 जनपद-चन्दौली

डेवलपर्स विलेख

श्री आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद एवं श्री खालिद जमाल पुत्रगण स्व0 अनिर्सुरहमान निवासीगण मकान नं0 बी.18/205–2 मालती बाग वाराणसी।

.... प्रथम पक्ष/भू–स्वामी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ [illegible]

द्वारा आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202546

(2)

व

एम.एम. एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय मकान नं0 बी.21/51–आर–2– प्रथमतल तल कमच्छा, वाराणसी जरिये साझीदार मे0 रुद्रा रियलटेक प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय सी0 27/273 सी–13, दास नगर कालोनी, मलदहिया, वाराणसी जरिये डायरेक्टर आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सीके0 65/159ए, पियरीकला, चौक, वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/डेवलपर्स।

विदित हो कि आराजी नं0 512 मि0 रकबा 0.789 हे0 स्थित मौजा गोधना, परगना धूस, तहसील व जिला चन्दौली एकमात्र प्रथम पक्षगण के स्वामित्व एवं अध्यासन में चली आ रही है, जो हम प्रथमपक्ष को अपनी माता सकीना बीबी पत्नि स्व0 अनिर्सुरहमान से बक्शीशनामा द्वारा प्राप्त हुई है तथा उन्होने खरपत्तू पुत्र खुड़बुड़ व रामा पुत्र भिक्खु निवासी महेवा नई बस्ती परगना धूस डाकखाना मुगलसराय जिला वाराणसी वर्तमान में जिला चन्दौली से दिनॉक 09.08.1988 को कय किया था। जो कि सब रजिस्ट्रार चन्दौली के कार्यालय में बही सखॅया 1 जिल्द नं0 1998 के पृष्ठ 125/127 के कमांक संख्या 3598 पर दिनॉक

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कम्पनी [illegible] वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

श्री
मुख्य राकड़िया
कोषागार चन्दौली

विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
2,630,000.00			10,000.00	20	10,020.00	800

श्री आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पासपोर्ट
पुत्र श्री स्व0 अनिसुर्रहमान
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी मालती बाग शहर वाराणसी
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/7/2013 समय 3:05PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे0 के0 यादव , प्रभारी
उप निबन्धक,चन्दौली
चन्दौली
16/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री आरिफ रहमान उर्फआरिफ मोहम्मद / पासपोर्ट
पुत्र श्री स्व0 अनिसुर्रहमान
पेशा व्यापार
निवासी मालती बाग शहर वाराणसी

श्री खालिद जमाल / पासपोर्ट
पुत्र श्री स्व0 अनिसुर्रहमान
पेशा व्यापार
निवासी मालती बाग शहर वाराणसी

क्रेता

श्री आनन्द कुमार अग्रवाल बजरिये डायरेक्टर / पैन कार्ड
पुत्र श्री स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी पियरी कला चौक वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202547

27.10.1988 को दर्ज है उपरोक्त वर्णित जायदाद पर हम प्रथम पक्षगण बतौर मालिक काबिज दखील रहकर उसका हर तरह से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है एवं जायदाद मजकूर हर लाइसेंसी किरायेदारी सट्टा आदि से बाधित नहीं है, और न ही उपरोक्त सम्पत्ति कही रेहन, सट्टा, मुकदमें में विचाराधीन, निषेधाज्ञा, सदमा, कुर्की, जेर जमानत आदि से सम्बद्ध है। प्रथम पक्ष की दिली ख्वाहिश है कि वह उपरोक्त जायदाद पर बहुमंजिली आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन एवं एकल स्वामित्व डुपलैक्स भवनों का निर्माण करें परन्तु तकनीकी जानकारी के अभाव में हम प्रथम पक्षगण योजना को मूर्त रूप देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे है, इसलिए हम प्रथम पक्षगण ने द्वितीय पक्ष एम. एम. एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय मकान नं0 बी. 21/51–आर–2– प्रथमतल तल कमच्छा, वाराणसी जरिये साझीदार मे0 रुद्रा रियलटेक प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय सी0 27/273 सी–13, दास नगर कालोनी, मलदहिया, वाराणसी जरिये डायरेक्टर आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सीके0 65/159ए, पियरीकला, चौक, वाराणसी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000 एम० एम० स्टोरेज कार्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी

जरिये आनन्द कुमार उपाध्याय

9/7/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री जे0 पी0 मिश्रा

पुत्र श्री स्व0 श्यामजी मिश्रा

पेशा व्यापार

निवासी कमच्छा वाराणसी

व श्री प्रमोद कुमार मिश्र एड0

पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी चन्दौली

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

O.Prakash

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे0 के0 यादव , प्रभारी

उप निबन्धक, चन्दौली

चन्दौली

16/7/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

9 JUL 2013

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202548

से प्रस्ताव किया कि द्वितीय पक्ष, हम प्रथम पक्ष की जमीन पर अपने खर्च से बहुमंजिली आवासीय भवन, व्यावसायिक भवनों का निर्माण करें एवं बदले में निर्मित अनिर्मित एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 72 प्रतिशत हिस्से का भाग (मय जमीन के साथ) रख ले या अपने नामिनी या किसी अन्य के हक में अपने हिस्से का बैनामा, सट्टा किरायेदारी लीज आदि करें उससे प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। उस पर द्वितीय पक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण के प्रस्ताव को कबूल व मंजूर कर लिया लिहाजा पक्षकारगण स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन से बिना किसी दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क से प्रथम पक्षगण जमीन मालिक व द्वितीय पक्ष डेवलपर्स अपने वारिसानों व कायम मुकामानों के साथ अग्रलिखित शर्तों व नियमों के आधार पर एक दूसरे को पाबंद करते व होते हैं :—

1. यह कि प्रथमपक्ष जायदाद मजकूर जिसका विस्तृत विवरण वसीका हाजा के अन्त में अनुसूची—प्रथम में दिया गया है, के मालिकान है और जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक साफ हैं

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

कोषागार चन्दौली

विक्रेता

Registration No.: 8267 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 आरिफ रहमान उर्फ़आरिफ मोहम्मद / पासपोर्ट

स्व0 अनिसुर्रहमान

मालती बाग शहर वाराणसी

व्यापार

0102 खालिद जमाल / पासपोर्ट

स्व0 अनिसुर्रहमान

मालती बाग शहर वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202549

2. यह कि जायदाद मजकूर में स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नही है और यदि कोई विवाद परिलक्षित होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की है और भविष्य में भी होगी। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा किया जाता है और उसकी वजह से द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

3. यह कि जायदाद मजकूर में किसी प्रकार की कोई मांग किसी शासकीय अथवा अर्द्ध–शासकीय विभाग का देय नही है और ना तो किसी महाजन अथवा बैंक अथवा कम्पनी आदि से उक्त सम्पत्ति के समबन्ध में ऋण लिया गया है। इसके विपरीत यदि कोई तथ्य पाया जाता है तो उसकी देनदारी प्रथमपक्ष की है और होगी।

4. यह कि "डेवलपर्स अनुबन्ध" के आधार पर बहुमंजिली इमारत निर्मित हो जाने के पश्चात वी0डी0ए0 खर्च, सिटी डेवलपर्स चार्ज, सर्विस टैक्स, कम्पाउण्डिग/तवान का खर्च व अन्य

K. Gaur

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ एस० एस० स्पोर्ट्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

4/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

क्रेता

Registration No. : 8267 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 आनन्द कुमार अग्रवाल बजरिये डायरेक्टर / पैन कार्ड

स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल

पियरी कला चौक वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202550

खर्च काटकर ही उसका 72 प्रतिशत अंश द्वितीयपक्ष का होगा तथा शेष 28 प्रतिशत अंश प्रथमपक्षगण का होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद हस्ब तफसील जैल पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेयेगा और उक्त निर्माण में जो भी धन व्यय होगा उसे लगाने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी, उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा।

6. यह कि सम्पूर्ण निर्माण का 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि, जमीन के बदले में प्रथमपक्ष को प्राप्त होगी, उससे द्वितीयपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा। इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष को अधिकार प्राप्त है व द्वितीयपक्ष द्वारा भी इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष को अधिकृत किया जा रहा है कि प्रथमपक्ष अपने हस्ताक्षर से अपने अंश के फ्लैट मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने मन मुताबिक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विकय कर सकेंगे, मूल्य प्राप्त करेगे अथवा उसे रेहन अथवा बंधक रखेंगे, उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे, उससे द्वितीयपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/- एम०एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स अम्बाला/बाराबंकी।

जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/1/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202551

(7)

7. यह कि उसी प्रकार द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण निर्माण में अपने लगे हुए खर्चे के एवज में सम्पूर्ण निर्मित अंश का 72% (बहत्तर प्रतिशत) निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि का मालिक होगा और द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने 72% (बहत्तर प्रतिशत) अंश को अपने मन मुताबिक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में अनुबन्ध तहरीर करे, एलाटमेन्ट लेटर जारी करे अथवा इच्छुक केतागण के पक्ष में विकय विलेख निष्पादित करे, उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा। उक्त विकय विलेख का सम्पूर्ण प्रतिफल द्वितीयपक्ष प्राप्त करेगा। इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को अधिकार देते है व अधिकृत करते है व मुख्तार नियुक्त करते है कि द्वितीयपक्ष अकेले अपने हस्ताक्षर से अपने अंश 72% (बहत्तर प्रतिशत) मय अनुपातिक अंश भूमि को अपने मनमुताबिक केतागण को विकय करे, उसकी बाध्यता प्रथमपक्ष पर भी होगी,उसके सम्बन्ध में प्रथमपक्ष कभी भी कोई एतराज नही करेंगे।

8. यह कि प्रथमपक्ष/भू–स्वामी सम्पूर्ण पार्किंग का 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) अंश प्राप्त करेगा व

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ [illegible]

जरिये. आनन्दकुमार अग्रवाल

9/7/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202552

(8)

द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता सम्पूर्ण पार्किंग का 72% (बहत्तर प्रतिशत) प्राप्त करेगा व प्रथमपक्ष/भू–स्वामी सम्पूर्ण छत का 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) अंश प्राप्त करेगा व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता सम्पूर्ण छत का 72% (बहत्तर प्रतिशत) प्राप्त करेगा व प्रथमपक्ष या द्वितीयपक्ष अपने अंश को किसी भी फ्लैट मालिक को छत आवंटित कर सकता है परन्तु आवण्टी छत पर स्थाई निर्माण नही कर सकेगा।

9. यह कि द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण इमारत में एक समान रुप से समान गुणवत्ता व मानक के अनुसार समान लगायेंगे।

10. यह कि द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत होने से 10 (दस) वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण निमार्ण पूरा कर लेगा और यदि उक्त अवधि के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा नही हो पाता, तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को 12 (बारह) माह का अतिरिक्त समय ओर देगा, परन्तु यदि किसी नोटिस या मुकदमा या नोटिफिकेशन सरकारी या अर्द्ध सरकारी नोटिस के व्यवधान के कारण अथवा किसी दैवी आपदा के कारण अथवा भूकम्प, बाढ, राशनिंग आदि के कारण अथवा कर्फ्यू आदि के कारण कार्य में रुकावट आता है तो उकत रुकावट की अवधि का समय

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ एस० एस० स्टोरेज एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वाराणसी

जरिये आनन्द अग्रवाल

9/7/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202544

अतिरिक्त समय के रुप में द्वितीयपक्ष को अतिरिक्त प्राप्त होगा।

11. यह कि यदि कार्य के दौरान स्वामित्व सम्बन्धी दोष के कारण किसी प्रकार कार्य में रुकावट उतपन्न किया जाता है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी और उसकी वजह से जितने समय तक कार्य रुका रहेगा, उक्त समय द्वितीयपक्ष को अतिरिक्त रुप से प्राप्त होगा।

12. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथम पक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण कराना संभव न हो सके या उस वक्त के काबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारों से उनका हक निकल जाए ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्षगण की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामले को अपने हक से या तो रूपया देकर सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करें अन्यथा प्रथम पक्ष उस वक्त के काबिज होने वाले हकदारों को क्षतिपूर्ति कानूनी दर के हिसाब से मय ब्याज के साथ रूपया अदा करें

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

२००००/ एम० एम० एग्रोटेक प्रा० डेवलपर्स कम्पनी बाराबंकी

जरिये-

आनन्द कुमार अग्रवाल

सुरेश सकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कार्यालय -5 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298563

इससे द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता या सरोकार न होगा, साथ ही यदि द्वितीय पक्ष विवाद के कारण अपने को निर्माण कार्य करने में कानूनी रूप से पूर्णतया असमर्थ पाता है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा कुल खर्च किये गये रकम को प्रथम पक्षगण व उनके वारिसानों की सम्पत्तियों से बैंक ब्याज की दर के साथ वसूल लें। इसमें प्रथम पक्षगण को कोई आपत्ति नहीं है।

13. यह कि प्रथमपक्ष ने आज द्वितीयपक्ष को जमीन मजकूर पर कब्जा दखल करा दिया ओर द्वितीयपक्ष बहैसियत बिल्डर/डेवलपर जमीन पर काबिज होकर निर्माण कार्य करे, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथमपक्ष को न होगा।

14. यह कि द्वितीय पक्ष बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन तथा अन्य अनुमति जिनकी आवश्यकता निर्माण कार्य के लिये आवश्यक है, के लिये प्रार्थना पत्र देने के लिए अधिकृत रहेगा किन्तु उसके किसी भी भार की जिम्मेदारी प्रथमपक्षगण की नहीं होगी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

9 | 7 | 2013 ......क्रमांक 2212

स्टाम्प की धनराशि 1000/

विक्रय स्थल तहसील परिसर-चन्दौली

स्टाम्प विक्रेता ... जिला-चन्दौली

लाइसेन्स नं0 138 अवधि 31/5

[illegible] एण्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी जरिए आनन्द कुमार अग्रवाल

अनिल कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कार्यालय

- 5 JUL 2013

चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298564

15. यह कि प्रथमपक्ष/भू–स्वामी निर्मित क्षेत्र के 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता 72% (बहत्तर प्रतिशत) के अपने–अपने अंश पर जो भी कर, जलकर, सीवर कर, विघुत कर, आयकर, सेवाकर, सम्पदाकर, आदि जो भी कर केन्द्र सरकार अथवा प्रांतीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित किया जायेगा उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अदा करने का उत्तरदायी है व होगा। प्रस्तावित अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट के विकय के बाद फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा तथा सोसाइटी के नियम के तहत कामन सुविधाओं के रख–रखाव का खर्च सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए फ्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

16. यह कि डेवलपर एग्रिमेंट में वर्णित अपार्टमेंन्ट के निर्माण के पश्चात उक्त अपार्टमेन्ट में द्वितीयपक्ष कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नही करेगा और यदि जब कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता अतिरिक्त तल बनाने की होगी तो प्रथमपक्ष की

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

क्रय का दिनांक 9/7/2013 क्रमांक 2213/2212

स्टाम्प क्रेता का नाम कैलाश

स्टाम्प की धनराशि 100/-

ओंकार

निवास स्थान तहसील परिसर-चन्दौली

कमलेश कुमार

स्टाम्प विक्रेता चन्दौली व जिला-चन्दौली

लाइसेन्स नं० 138 अवधि 31/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
एक हजार रुपये
ONE THOUSAND RUPEES
रु.1000
Rs.1000
सत्यमेव जयते
INDIA
कोषागार कार्यालय
- 5 JUL 2013
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
Y 298565

सहमति से ही कोई अतिरिक्त तल का निर्माण किया जा सकेगा।

17. यह कि प्रथम पक्षगण को प्राप्त होने वाला हिस्सा उसी मानदंड और स्तर का होगा जैसा द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले हिस्से का होगा। दोनों पक्षों के हिस्सों का निर्माण एक रूप होगा।

18. यह कि इस अनुबन्ध से पक्षगण के बीच कोई साझेदारी नही उत्पन्न हो रही है।

19. यह कि प्रथम पक्षगण एवं द्वितीय पक्ष के मध्य इस इकरारनामें के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण सम्मिलित रूप से आरबिट्रेटर नियुक्त कर किया जायेगा। ऐसे किसी विवाद की स्थिति में 'आरबिट्रेशन एण्ड रिकन्सीलिएशन एक्ट 1996' के प्रावधानों के तहत उनका समाधान किया जायेगा।

20. यह कि इस दस्तावेज हाजा की तमाम शर्तें हम प्रथम पक्षगण व द्वितीयपक्षगण एवं उनके जायज कानूनी वारिसानों पर भी आयद व लाजिम होगी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

9/7/2013

2214
2212

... क्रमांक

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता उपरोक्त

स्टाम्प की धनराशि ... 1000/-

विक्रय स्थल तहसील परिसर-चन्दौली

अनिल कुमार
स्टाम्प विक्रेता जिला-चन्दौली
लाइसेन्स नं० 15 अवधि 31/5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
एक हजार रुपये
ONE THOUSAND RUPEES
रु.1000
Rs.1000
सत्यमेव जयते
INDIA
कोषागार कार्यालय
- 5 JUL 2013
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
Y 298566

21. यह कि इस वास्ते डेवलपर्स एग्रीमेंट हम पक्षगणों ने पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके प्रभाव कानूनी से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख दिये कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

अनुसूची–प्रथम

जायदाद हस्ब तफसील जैल

आराजी नं0 512 मि0 रकबा 0.789 हे0 यानी 1 एकड़ 95 डिसमिल में से 25 डिसमिल स्थित मौजा गोधना, परगना धूस, तहसील व जिला चन्दौली।

पूरब : जमीन प्रथम पक्ष

पश्चिम : पक्की सड़क चकिया मार्ग

उत्तर : जमीन शबाना रहमान आदि

दक्षिण : जमीन अन्य का।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

9/7/2013

... की तिथि .... क्रमांक 2215/2212

स्टाम्प क्रय करने वाले व्यक्ति... बैंक

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता.

स्टाम्प की धनराशि 1000

विक्रय स्थल तहसील परिसर-चन्दौली

अनिल कुमार
स्टाम्प विक्रेता ... व जिला-चन्दौली
लाइसेन्स नं. 138 अवधि 31/15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-14

17AA 373735

प्रथम पक्ष अनुसूचित/ अनुसूचित जन जाति

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

26/7/2015

विक्रय की तिथि .... क्रमांक 2355/2352

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... डेवलपमेंट विलेख

स्टाम्प क्रेता का पूरा पता ... उपरोक्त

स्टाम्प की धनराशि 100/-

विक्रय स्थल तहसील परिसर-चन्दौली

अभिषेक कुमार
स्टाम्प विक्रेता तह0 व जिला-चन्दौली
लाइसेन्स नं. 130 अवधि 31/18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय
28 JUN 2013
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 013218

-15

के नहीं है, रूपये 1,84,340/- रूपये का स्टाम्प

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

26/7/2013

व विक्रय की तिथि...... संख्या 9353/9352

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन डेवलपमेंट एग्रीमेंट

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible] इंटरसिटी

स्टाम्प की धनराशि 100/-

विक्रय स्थल तहसील परिसर-[illegible]

अनिल कुमार

स्टाम्प विक्रेता [illegible] व जिला-चन्दौली

लाइसेन्स नं० 138 अवधि 31

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

कोषागार कार्यालय
28 JUN 2013
चन्दौली

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -163- BP 013217

अदा है ।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

प विक्रय की तिथि 26/7/2013 क्रमांक 2352

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन... बैनामा (डवलपमेंट विलेख)

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ... एम० एल० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कबीरचौरा वाराणसी द्वारा आनन्द कुमार अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि ... 100/-

विक्रय स्थल तहसील परिसर-चन्दौली

अनिल कुमार

स्टाम्प विक्रेता तह० व जिला-चन्दौली

लाइसेन्स नं० 138 अवधि 31

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 373734

सट्टा शुदा भूमि कृषिक है ।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

२६/७/२०१३ २३५४

विक्रय की तिथि २३५२

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम ....

स्टाम्प की धनराशि १०

विक्रय स्थल तहसील परिसर चन्दौली

अनिल कुमार

स्टाम्प विक्रेता ... जिला-चन्दौली

लाइसेन्स नं0 13 अवधि 31

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय 25 JUN 2013 चन्दौली

BB 173912

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1 8)

नोट :– स्टैम्प अदायगी के लिए मूल्यांकन, 25 डिसमिल यानी 1011.5 वर्गमीटर x 2600 = मु0 26,30,000/– रुपया स्टैम्प नियमानुसार 7 प्रतिशत मु0 1,84,100/– का दिया गया है। यद्यपि भूमि कृषि भूमि है।

गवाहान :–

1. नाम व हस्ताक्षर : जे.पी. मिश्रा JPrakash

पिता का नाम : स्व0 श्यामजी मिश्रा

पता : कमच्छा, वाराणसी

2. नाम व हस्ताक्षर : Manoj Phillips

पिता का नाम : Mr. Mukesh Phillips

पता : D 59/129 Sigra Varanasi

तहरीर तारीख :– 10.07.2013 ई0

मसविदाकर्त्ता : [signature] अधिवक्ता, दीवानी कचहरी, ~~वाराणसी~~ चन्दौली

टाइपकर्त्ता :

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

9/7/2013

2216
2212

स्टाम्प की धनराशि 100

अनिल कुमार
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० 138 अवधि 31

आज दिनांक **16/07/2013** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **4528**

पृष्ठ सं. **295** से **322** पर कमांक **8267**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे0 के0 यादव , प्रभारी
उप निबन्धक,चन्दौली
चन्दौली
16/7/2013